तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3259/2004/टोंक बादाम पुत्री श्री श्रवण व अन्य बनाम श्योजी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम
11-7-2019	**एकलपीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थित** श्री अजीत सिंह अभिभाषक अपीलार्थी श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण **निर्णय** यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 30–8–03 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी पुर्नवास बीसलपुर परियोजना देवली के द्वारा आदेश दिनांक 27–7–2001से अपीलार्थीगण को ग्राम पन्द्राहेडा तहसील टोडारायसिंह के खसरा नम्बर 1557,1577 में क्रमशः 1–26,0–66 कुल रकबा 1–92 हेक्टर कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। खसरा नम्बर 1557में कृषि भूमि कम पडने पर खसरा नम्बर 1557 में 1–26 व 1577 में 0–66 के आवंटन आदेश को निरस्त कर खसरा नम्बर 1582/1 में कुल रकबा 1–92 हेक्टर कृषि भूमि आवंटन के संशोधन आदेश दिनांक 25–8–2001 को जारी किये। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1व2 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–8–03से अपील स्वीकार उपखण्ड अधिकारी पुर्नवास बीसलपुर परियोजना देवली के आदेश दिनांक 25–8–2001को निरस्त कर अपीलार्थीगण को मौका देखकर अविवादित भूमि का आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3259/2004/टोंक बादाम पुत्री श्री श्रवण व अन्य बनाम श्योजी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम
	अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि विवादित भूमि चारागाह है जो किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती। मात्र विस्थापितों को आवंटन हेतु रिजर्व रखी गई थी जो विस्थापितों को ही आवंटन होगी। उक्त भूमि अपीलार्थी को कीमतन आवंटन की गई है और मौके पर कब्जा सौंपा गया है। तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम अमल दरामद कर दिया गया। चारागाह भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं रह सकता उसे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत तुरन्त बेदखल कर दिया जाता है। इसलिये प्रत्यर्थी का यह कहना कि उसका कदीम से कब्जा चला आ रहा है,असत्य कथन है। यदि किसी आराजी पर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से काबिज भी है तो वह मात्र अतिक्रमी की परिभाषा में आता है और अतिक्रमी द्वारा धारित भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि है। ओक्यूपाईड व अन ओक्यूपाइड बाबत कोई तथ्य नहीं देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अधिकारी का यह मानना कि प्रत्यर्थी का विवादित चारागाह भूमि पर कदीम से कब्जा चला आ रहा है,राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा राजस्व विधियों के विरूद्ध होकर गैर कानूनी निर्णय है जो निरस्त योग्य है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है,उसके खाते में पर्याप्त भूमि है। इसके बाबजूद दिनांक 16-1-2001को श्योजी के पुत्र श्री रामजीलाल को ग्राम पन्द्राहेडा स्थित खसरा नम्बर 1627 रकबा 0-62 हेक्टर भूमि आवंटन की जा चुकी है। अर्थात वरवक्त आवंटन प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर श्योजी के पुत्र को भूमि आवंटन की जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3259/2004/टोंक बादाम पुत्री श्री श्रवण व अन्य बनाम श्योजी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम

चुकी है। उक्त चारागाह भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है। न ही उसका कभी कब्जा काश्त रहा है। वरन यह भूमि विस्थापितों के लिये रिजर्व रखी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 18माह मियाद बाहर थी। इस बीच अपीलार्थी ने एक खरीफ एवं एक रवि की फसल उत्पन्न कर ली थी एवं वरवक्त आवंटन से ही प्रत्यर्थी को आवंटन आदेश की पूर्ण जानकारी थी। क्योंकि अपीलार्थी विस्थापित व्यक्ति है जिनका ग्राम रतनपुरा बांध की डूब में आ चुका है एवं वर्तमान में ग्राम पन्द्राहेडा में उक्त भूमि आवंटन होने के पश्चात कब्जा प्राप्त होने से विवादित भूमि पर झोपडी बनाकर मय परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। जिससे आवंटन दिनांक से ही प्रत्यर्थी को उक्त आवंटन की जानकारी थी। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।

जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 4 लक्ष्मीनारायण पक्षकार ही नहीं है तो वह अपील प्रस्तुत कैसे कर सकता है। उसको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी जिस आदेश से व्यथित है उसी को चुनौती देगा। प्रत्यर्थी आदेश दिनांक 25–8–2001से व्यथित व्यक्ति है उसी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। वादग्रस्त आराजी पर उनका कदीम से कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने इस भूमि को प्रत्यर्थी के पक्ष में नियमित करने का प्रस्ताव भी पारित कर रखा है। प्रत्यर्थी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है तथा अनुसूचित वर्ग का सदस्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसरण में वह इस भूमि को अपने हक में नियमन कराने का अधिकारी है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3259/2004/टोंक बादाम पुत्री श्री श्रवण व अन्य बनाम श्योजी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम

किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र कूरा की ओर से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक झमकू के स्थान पर लक्ष्मीनारायण को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 21–7–2003को नोट प्रेस में खारिज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी जब पक्षकार ही नहीं था तो उसको अपील में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य है।

जहां तक प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा होने का प्रश्न है, वादग्रस्त आराजी चारागाह है जो किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती। उक्त भूमि विस्थापितों को आवंटन हेतु रिजर्व रखी गई थी जो विस्थापितों को ही आवंटन होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका देखकर अविवादित भूमि आवंटन करने का आदेश दिया है जो उचित है ताकि आवंटियों को दर दर नहीं भटकना पडे और उन्हें अविवादित भूमि आवंटन कर दी जावे।

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)

सदस्य